8.9.93 को "एलकेरान" नामक एक दवाई खरीदी थी। आरोप है कि खरीदी गई दवाओं की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। सुपर बाजार के कथनानुसार उक्त दवाई ग्राहक को अनजाने में बेची गई थी क्योंकि अवधि समाप्त होने की तारीख स्पेनी भाषा में लिखी हुई थी। मामला लम्बित है और उसके लिए 7 जुलाई, 1995 की तारीख नियत की गई है।

2. विनोद शर्मा बनाम सुपर बाजार

यह शिकायत सुपर बाजार के विरुद्ध एक एरिस्टोक्रेट ब्रीफ केस को मौजूदा बाजार मूल्य से कथित रूप से अधिक मूल्य पर बेचे जाने के लिए की गई है। सुपर बाजार के कथनानुसार उक्त ब्रीफकेस कम्पनी द्वारा सुझाए गए खुदरा मूल्य पर बेचा गया था और लिया गया मूल्य पूरी तरह से विनिर्माता के नीतिगत ढांचे के अनुसार था। मामला अभी अनिर्णीत है और अगली तारीख 12.9.1995 है।

3. श्रीमती मिनाति मंजूरी मातृ बनाम इंडस्ट्रियल इंडिया लि॰ और सुपर बाजार

उपर्युक्त शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा मार्च, 1995 में दायर की गई थी, जिसमें सुपर बाजार को एक पक्ष बनाया गया है। संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा सुपर बाजार की एक शाखा से लेक्टोजेन-II का एक कि॰ ग्रा॰ का टीन खरीदा गया था और उसमें कथित रूप से कृमि एवं कीड़े थे। सुपर बाजार के कथनानुसार उक्त मद मैं॰ नैस्ले इंडिया लि॰ द्वारा विनिर्मित थी और बिक्री के लिए तैयार एक पैकशुदा मद थी। सुपर बाजार का उत्पाद की गुणता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उसे न तो सुपर बाजार द्वारा विनिर्मित किया गया है और न ही पैक किया गया है। यह मामला उपभोक्ता मंच के समक्ष सुनवाई के लिए 5.9.95 हेतु नियत किया गया है।

निर्णीत मामले

1. आर॰ डी॰ गोयल बनाम सुपर बाजार

शिकायत के तथ्य ये हैं कि शिकायतकर्ता ने अप्रैल, 1994 के महीने में सुपर बाजार के घड़ियों के काउंटर से एक एच॰ एम॰ टी॰ घड़ी खरीदी थी और उक्त घड़ी कथित रूप से खराब थी। उपभोक्ता ने घड़ी बदलने के लिए सुपर बाजार से कहा परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। सुपर बाजार के कथनानुसार उक्त घड़ी एच॰ एम॰ टी॰ लि॰ द्वारा विनिर्मित थी और गारंटी केवल घड़ी की मरम्मत करने के बारे में दी गई थी, बदलने के लिए नहीं। उपभोक्ता को सलाह दी गई कि वह एच॰ एम॰ टी॰ लि॰ के समीप के किसी अधिकृत केन्द्र से संपर्क करें परन्तु उसने इसके बजाय उपभोक्ता मंच में शिकायत कर दी। यह मामला, शिकायतकर्ता द्वारा मामले पर आगे कार्रवाई न किए जाने के कारण 4.9.94 को रद्द कर दिया गया था।

2. सतीश कुमार वर्मा बनाम सुपर बाजार

उपर्युक्त शिकायत श्री सतीश वर्मा, जो व्यवसाय से पत्रकार हैं, द्वारा 12.5.94 को सुपर बाजार के विरुद्ध दायर की गई थी। मामले के संक्षेप में तथ्य ये हैं कि मैं॰ मैरिस इंडस्ट्रीज लि॰ की स्वीकार तेल (5 लीटर का आधान) की बिक्री प्रोत्साहन स्कीम के तहत सुपर बाजार ने एक खुदरा विक्रेता के रूप में उपभोक्ता को केवल 24/- रु॰ मूल्य का निःशुल्क उपहार दिया जबकि मैं॰ मैरिस इंडस्ट्रीज लि॰ द्वारा विज्ञापित स्कीम में निःशुल्क उपहार 25/- रु॰ मूल्य का था।

उक्त शिकायत वापिस लिए जाने के रूप में 6.1.95 को रद्द कर दी गई।

Revision in Rates of Minimum Wages for Super Bazar Workers

5798. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have taken any measures to revise the rates of minimum wages for the Super Bazar workers and also for the sales sector at the central sphere during the last three years;

(b) whether Government have received any representations in this regard from the employees union; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) There are no daily

wage employees in Super Bazar. All the employees and staff of Super Bazar are being paid wages in regular scales, the minimum of which is above the ones notified by the Govt, of Delhi under the Minimum Wages Act, 1948.

(b) No representation has been received in this regard.

(c) Does not arise.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए राज सहायता

5799. **श्री रामजीलालः** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए कोई राज-सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों पर यह राज-सहायता दी जाती है;

(ग) क्या सरकार उनमें नयी वस्तुओं को शामिल करने जा रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गांवों में किस तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सभी परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली वस्तुओं को खरीदने हेतु पात्र हैं। केन्द्रीय सरकार ने, सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके आर्थिक रूप से अलाभकर स्थिति वाले और चिरकालिक खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान की है। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पहचाने गए ब्लाकों में, जहां उल्लेखनीय अनुपात में गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या रहती है, केन्द्रीय सरकार विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करती है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50/- रु० प्रति क्विंटल कम होते हैं। केन्द्रीय सरकार गेहूं और चावल के वितरण पर सीधी बजटीय राजसहायता का वहन करती है। समय-समय पर सरकार लेवी चीनी और आयातित खाद्य तेल के वितरण पर राजसहायता वहन करती है। सुपीरियर मिट्टी के तेल और साफ्ट कोक के वितरण पर होने वाली राजसहायता व्यय एक अलग फार्मूले से वहन किया जाता है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे अपनी ओर से स्थानीय उपभोक्ताओं की पसन्द तथा आवश्यकताओं के अनुसार इसमें आम खपत की अन्य अतिरिक्त मदों को शामिल करें।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। कार्यान्वयन का तरीका भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग है। सामान्यतः प्रत्येक गांव किसी उचित दर दुकान से जुड़ा होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन लगभग 400 से 500 परिवारों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे सभी परिवारों के राशन कार्ड जारी करें। वस्तुओं के वितरण का निरीक्षण करने हेतु उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करें और सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर दुकानों के दरवाजे पर सुपुर्दगी करने हेतु प्रबंध करें।

Allocation of Kcrosncne to States

5800. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the quota of kerosene oil allotted to various States during the last two years;

(b) what is the criteria for determining this quota;

(c) whether the Madhya Pradesh Government has requested for allotment of additional quota of kerosene for its villages and industrial purposes; and

(d) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) The allocation and offtake of Superior Kerosene Oil (SKO)